

परिपत्र संख्या-विधि-2(1)फार्म मीसिंग-(5)(2012-2013) / 1628 /1213090 / वाणिज्य कर,  
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
(विधि अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 15 फरवरी ,2013

**विज्ञप्ति**

**विषय : फार्म मीसिंग के सम्बन्ध में**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम -12 बी(20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुये एवं उ0प्र0 मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 81 को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मीसिंग की सूचना प्राप्त हुई है। अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्र0 सं0	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री श्रीबाबा विश्वनाथ आयरन प्रा0लि0 ,सेमरा पटनवा इण्ड0एरिया , रामनगर चन्दौली , टिनसं0-09482402125	फार्म-3डी संख्या- 126218 से 126233 तक	कोरियर हेतु ले जाते समय खोने के कारण	16
2-	सर्वश्री जालान एलायज लि0 बोरिंग नं0-10 इण्ड0 स्टेट ,गोरखनाथ , गोरखपुर टिननं0-09818702246	फार्म-3ख संख्या-125929 से 125962 तक तथा 281427 (पूर्ण करमुक्त)	खोने के कारण  कुंल	34 +01 (35)
3-	सर्वश्री स्टरलिंग आक्साईड लि0 इण्ड0एरिया, सिकन्द्रावाद टिननं0-0966790032	फार्म-डी संख्या-00001	गुम हो गया	01

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि)वाणिज्य कर, उ0प्र0

पृ0प0सं0 एव दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- महालेखाकार, 30प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 10- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 12- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 13- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(अजय प्रताप सिंह )  
असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय ।